न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible] – 103/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.3.18	[illegible] दिनांक 17-4-18 [illegible] Vimla	
17-4-18	[illegible] दिनांक 9-7-18 [illegible] Vimla	
2-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व [illegible] विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) राज–1/2016 दिनांक [illegible] की पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर [illegible] पालना एवं पालना में पत्रावली [illegible] निर्देशों की आज पेश हुई। [illegible] 9-7-18 से तलब होकर सुनवाई [illegible] जाती है। [illegible] में पत्रावली लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र Thoi थोई [illegible] अदालत/कैम्प कोर्ट समक्ष दिनांक 12-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बंधित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm.	
12.5.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–थोई के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड थोई उपस्थित। सहायक अभियन्ता थोई ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 1054, 1055, 1056, 1057 तन् ग्राम रामपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादिया के नाम से कोई विधुत कनेक्शन हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है एंव ना ही करेगे। वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1054, 1055, 1056, 1057 कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रामपुरा की खातेदारी वादी एंव तरतीबी पक्षकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों से किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है एंव ना ही हो सकता है। खसरा नम्बर 1057 में विधुत कनेक्शन लेने हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 सरोज देवी ने प्रतिवादी नं. 2 व 3 के यहाँ विधुत कनेक्शन लेने हेतु पत्रावली पेश की है। Gm	भूमि खसरा नं 1054 1055 1056 1057 तन ग्राम रामपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर के प्रतिवादीया के नाम से कोई विद्युत कनेक्शन हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया ना ही करेंगे [signature] Assistant Engineer (O&M) A.V.V.N.L. THOI

Scanned by CamScanner

राजू सरोज ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्र.स. - 103/2017

राजू बनाम सरोज वगै0
मावा मुकदमा नं0 235/2016
बी0टी0 नम्बर 103/2017

प्रतिवादी न. 1 ने गलत रूप से ग्राम पंचायत थोई से एनओसी जारी करवायी है जबकि ग्राम पचायंत थोई को इस बावत किसी प्रकार का अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने वादीगण को दिनांक 16.9.2016 को ईच्छानुसार प्रतिवादिया न. 1 के नाम से विधुत कनेक्शन जारी करने बाबत धमकी देने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पूर्व में पेश हो चूका है एंव लोक अदालत में भी प्रतिवादी न. 2 व 3 ने प्रतिवादी न. 1 के नाम से विधुत कनेक्शन जारी नहीं करने बाबत अवगत कराया है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 2 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नम्बर 1054, 1055, 1056, 1057 कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी एंव तरतीबी पक्षकार के अलावा दीगर किसी भी व्यक्ति के नाम कोई विधुत कनेक्शन जारी नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प थोई के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–थोई

Scanned by CamScanner